राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/2020/710-715 दिनांक 18.05.2020 20

कार्यालय आदेश

वर्तमान युग की अत्याधुनिक एवं विकसित तकनीक व इसके वृहद् स्तर पर प्रचलन व बहुउपयोगी होने के कारण बदलते परिवेश में इसे राजकीय कार्यालयों में भी अपनायी जाने लगा है। राज्य सूचना आयोग के कार्य–व्यवहार को देखते हुए आयोग में भी इसके उपयोग की प्रबल सम्भवनाएं हैं। आयोग के समकक्ष अन्य न्यायालयों की तर्ज पर ई–फाईलिंग, विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई व पेपर वर्क को उत्तरोत्तर न्यून करने की दिशा में नवीन तकनीक को अपनाया जा सकता है। आयोग में वीडियो कान्फ्रेसिंग रूम मय उपकरण पूर्व से विद्यमान है।

अतः श्रीमान् मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से हुई वार्ता एवं उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में आयोग में उपरोक्त प्रमुख कार्य नवीन तकनीक के माध्यम से सम्पन्न किये जाने के लिए आवश्यक समस्त पहलूओं का अध्ययन करने व आयोग को अपने सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन निम्नवत किया जाता है :–

1. श्री प्रकाश चन्द चौधरी, रजिस्ट्रार
2. श्री उदय सिंह पालावत, सलाहकार
3. श्री रामखिलाडी रावत, सलाहकार
4. श्रीमती मधुलता अग्रवाल, प्रोग्रामर
5. श्री महावीर बुरडक, सूचना सहायक
6. श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, सूचना सहायक

उक्त कमेटी तीन माह में अपनी रिपोर्ट सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के माध्यम से माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगी।

रजिस्ट्रार
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त महोदय–द्वितीय/तृतीय
3. सभी संबंधित अधिकारी/कार्मिक
4. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली

रजिस्ट्रार